

संरक्षा बुलेटिन

मध्य रेलवे, सोलापुर मंडल



मासिक बुलेटिन नं - 02, जून - 2018.

हमारा लक्ष्य दुर्घटना विहीन द्रुत रेल संचालन

सोलापुर मंडल पर निम्नलिखित असामान्य घटनाएं हुए हैं :-

- 1.** सोलापुर यार्ड में प्वाइंट बस्ट (फटना) होना :-
दिनांक 23.05.2018 को 0-8 घंटे की पारी में कपल लाइट इंजन की इंजीनियरी साइडिंग -1 से आर डी -1 की ओर शंटिंग करते समय हैण्ड प्वाइंट - 5 बस्ट (फटा) हुआ था ।

कारण : प्वाइंटसमैन नें शंटिंग संचालन करने से पहले प्वाइंटों की सही सेटिंग सुनिश्चित करने में असफल रहें ।

जिम्मेवारी : कार्यरत प्वाइंटसमैन ।

नियम का उल्लंघन : सहायक नियम -5.13(1) ख की पैरा -11 और इंजिनियरी साइडिंग से शंटिंग चालन से संबंधित स्टेशन संचालन नियम के पृष्ठ संख्या - 43 पर बताए गए अनुदेशों का उल्लंघन हुआ है ।
- 2.** दिनांक 02.06.2018 को गाडी क्रमांक 11039 डाउन कोल्हापुर -गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस राहुरी - पढेगांव खंड के बीच स्थित समपार फाटक संख्या -41(इंजिनियरी) से गुजरते समय फाटक खुला हुआ पाया ।

कारण : इंजीनियरी फाटक के गेट कीपर द्वारा कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर / राहुरी को प्राइवेट नंबर देने से पूर्व फाटक बंद करने में असफल रहें ।

जिम्मेवारी : समपार फाटक संख्या 41 का फाटकवाला ।

नियम का उल्लंघन : सहायक नियम - 16.03-02 (ख) (i) का उल्लंघन हुआ है ।
- 3.** दिनांक 21.04.2018 को विसापुर में बॉक्स एन /एम संख्या - पूर्व रेल्वे 10028860869 का डीरेलमेंट (रेल पटरी पर से उतरना) :-
विसापुर के साइडिंग में बॉक्स एम वैगनों की शंटिंग के दौरान वैगन रोल डाउन होकर पी क्यू आर एस साइडिंग में डिरेल हुए ।

..2..

..2..

कारण : : वैगनों की सुरक्षा हैण्ड ब्रेकों, लोहे की स्कीड और लकड़ी के पच्चड आदि लगाकर नही की गई थी और हाथ सिग्नलों के आदान-प्रदान का पालन नहीं किया गया था।

जिम्मेवारी : : प्वाइंटसमैन, लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट

नियम का उल्लंघन : : रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 3.1(ii) का उल्लंघन हुआ है ।

4. बेलापुर - चितली खंड पर स्थित समपार फाटक संख्या -52 (इंजीनियरी) गाडी के लिए खुला पाया गया :-
दिनांक 26.05.2018 को डाउन बीसीएन नंबर 24014+24063 गाडी पार होते समय उक्त फाटक खुला पाया गया ।

कारण : : गेटकीपर द्वारा कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर /बेलापुर को प्राइवेट नंबर देने से पूर्व फाटक बंद करने में असफल रहें ।

जिम्मेवारी : : समपार फाटक संख्या - 52 का फाटक वाला

नियम का उल्लंघन : : सहायक नियम - 16.03-02 (i) का उल्लंघन हुआ है ।

5. दिनांक 20.05.2018 को बोरोटी -दुधनी खंड पर स्थित समपार फाटक संख्या - 72 (इंजीनियरी) पर असाधारण घटना

कारण : : कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर /बोरोटी द्वारा सेक्शन में गाडी के प्रवेश हेतु अनुमति देने से पहले समपार फाटक बंद किया गया है इसकी पुष्टि में फाटकवाले से प्राइवेट नंबर प्राप्त करने में असफल रहें ।

जिम्मेवारी : : स्टेशन मास्टर

नियम का उल्लंघन : : सहायक नियम - 16.03-02 (ख) (i) का उल्लंघन हुआ है ।

सभी स्टेशन मास्टर /सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा गेटकीपर / फाटकवाले को सूचित किया जाए कि फाटक से गाडी पार करने हेतु नॉन इंटरलॉकड फाटकों को बंद करें और प्राइवेट नंबर प्राप्त करने से पहले फाटक बंद करने हेतु पर्याप्त समय दें ।

नॉन इंटरलॉकड समपार फाटकों पर कार्यरत सभी गेटकीपर / फाटकवाले को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सहायक स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर देने से पूर्व फाटक बंद किया गया है।

// छोटी सी भुल गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है //

(सुरेश कुमार एन.टी)

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, सोलापुर